



2026:AHC: 55305

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा

482 बी.एन.एस.एस. संख्या - 1649 वर्ष 2026

कुलदीप वर्मा

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	: अखिलेश
विपक्षी(गण) के अधिवक्ता	: आकांक्षा गौर, शासकीय अधिवक्ता, सैयद इरफान अली

न्यायालय संख्या-71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

- 1- आज दाखिल प्रत्युत्तर शपथ पत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।
- 2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
- 3- वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन, आवेदक की ओर से, विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना क्वार्सी, जिला अलीगढ़ में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 521 वर्ष 2025, बी.एन.एस. की धारा 69, 115(2), 352, 351(3) के अंतर्गत उसे अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
- 4- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कहते हैं कि वर्तमान वाद में आवेदक को झूठा फँसाया गया है। वे तर्क देते हैं कि एफ.आई.आर. में यह स्वीकृत मामला है कि आवेदक और पीड़िता पिछले 11 वर्षों से लंबे समय से प्रेम संबंध में थे। वे बताते हैं कि विवाद इस तथ्य के कारण उत्पन्न हुआ कि आवेदक ने उस घर का स्वामित्व, जहाँ कथित तौर पर पीड़िता रह रही थी, अपने भाई के नाम पर हस्तांतरित कर दिया। वे आगे तर्क देते हैं कि शुरुआत में इसी तरह की शिकायतों की गई थीं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और पुलिस उपाधीक्षक, खैर, जिला अलीगढ़ द्वारा 25.09.2018 को एक पुलिस रिपोर्ट दाखिल की गई थी, जिसमें निष्कर्ष आवेदक के पक्ष में था। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

5- दूसरी ओर, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तर्क देते हैं कि सूचनाकर्ता से शादी का झूठा वादा किया गया था और उसका फायदा उठाया गया। यहाँ तक कि प्रश्नगत परिसर, जहाँ सूचनाकर्ता रह रही थी, उसे धोखाधड़ी से आवेदक के भाई के नाम पर हस्तांतरित कर दिया गया था। सूचनाकर्ता को कभी भी आवेदक की वैवाहिक स्थिति से अवगत नहीं कराया गया था। सूचनाकर्ता बी.एड. की छात्रा थी और आवेदक उसी संस्थान में प्रोफेसर था और अपने पद का फायदा उठाते हुए, आवेदक ने पीड़िता को संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया।

6- मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरणों को सुना है।

7- यह स्वीकृत है कि आवेदक और पीड़िता लगभग 11 वर्षों से लंबे समय से संबंध में हैं। सूचनाकर्ता द्वारा आवेदक के खिलाफ एक शिकायत प्रस्तुत की गई थी जिस पर पुलिस उपाधीक्षक, खैर, जिला अलीगढ़ ने निम्नलिखित रिपोर्ट दी:-

"जाँच आख्या:- उक्त संदर्भित प्रकरण की जाँच के दौरान आवेदिका कु० पूजा रानी पुत्री श्री मुकेश कुमार निवासी गूलर रोड थाना देहली गेट जनपद अलीगढ़ ने अपने बयानों में बताया कि वह करीब 3-4 वर्ष पूर्व कस्बा खैर के खैर कन्या महाविद्यालय में बीएड की शिक्षा प्राप्त कर रही थी तो उस समय श्री कुल्दीप वर्मा पुत्र नेत्रपाल वर्मा निवासी मौ० नई बस्ती थाना खैर भी उक्त विद्यालय में शिक्षण का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान उसके एवं कुल्दीप वर्मा के बीच स्लेबस को लेकर जानकारी हेतु आपस में जान पहचान हो गयी और स्लेबस के सम्बन्ध में एक दूसरे की फोन पर वार्ता होती रही, आवेदिका अविवाहित है जिस कारण आवेदिका एवं कुल्दीप वर्मा के बीच आपस में शादी को लेकर नजदीकियां बढ़ना आवेदिका ने अपने बयानों में बताया परन्तु जब आवेदिका को कुल्दीप वर्मा के शादी शुदा होने की जानकारी हुयी तो कुल्दीप वर्मा के शादी शुदा होने एवं अपने आप को शिक्षारत होना बताते हुए शिक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो इस कारण अपने द्वारा दिये गये उक्त प्रार्थना पत्र पर कुल्दीप वर्मा के विरुद्ध कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में जाँच के दौरान लिखित बयान दिये। जैसा कि आवेदिका के बयानों से स्वतः स्पष्ट है।

आवेदिका अपने द्वारा दिये गये उक्त प्रार्थना पत्र अब कोई कानूनी कार्यवाही नहीं चाहती

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है। इस तरह आवेदिका कु० पूजा रानी उपरोक्त के उक्त प्रार्थना पत्र पर अन्य किसी पुलिस कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

जॉच आख्या सादर अवलोकनार्थ सेवा में प्रेषित है।"

8- अभिलेख के परिशीलन से, यह इंगित होता है कि आवेदक और पीड़िता के बीच संबंध थे, जो टूट गए और पीड़िता, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह आवेदक के घर में रह रही है, को आवेदक द्वारा बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आवेदक ने इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही को चुनौती देते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे दिनांक 13.01.2026 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था और उसके बाद ही उसने अग्रिम जमानत मांगने के लिए संबंधित न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। विवेचना के दौरान आवेदक को गिरफ्तार नहीं किया गया था और आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 13694/2025 में पारित आदेश दिनांक 10.07.2025 के माध्यम से पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लिए जाने, तक इस न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी पर रोक प्रदान की गई थी। एक बार आरोप-पत्र प्रस्तुत हो जाने के बाद, आवेदक को अभिरक्षा में पूछताछ के लिए अब और आवश्यकता नहीं है।

9- वाद के उपर्युक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

10- उपरोक्त के आलोक में, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

11- आवेदक-**कुलदीप वर्मा** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित थाने के थाना-प्रभारी / न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ पूर्वोक्त मुकदमा अपराध में अग्रिम जमानत पर तत्काल रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

(iv) आवेदक अभियोजन के साक्षीगण पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें न ही डराएगा-धमकाएगा;

12- उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के स्थिति में, संबंधित न्यायालय को जमानत रद्द करने की स्वतंत्रता होगी।

13- यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें की गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन निर्णीत करने के लिए हैं और इन्हें वाद के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा।

18 मार्च, 2026

ए. पांडेय

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)